शीर्ष प्राथमिकता

संख्या-1/2017/147/57-2017-7(4)2014 टी0सी0-1

प्रेषक,

नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
राजकीय निर्माण निगम लि0,
विश्वैश्वरैया भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊः दिनांकः 30 मार्च, 2017

विषयः जनपद- फैजाबाद के अयोध्या में भजन संध्या स्थल के निर्माण सम्बन्धी प्रायोजना/प्रस्ताव/आगणन पर वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-749/प्रबं0-आग0-2-म0प्र0(तक)/पर्यटन फा0/रा0नि0नि0/2015, दिनांक 11-12-2015 एवं प0सं0-745/प्रबं0-आग0-2-म0प्र0(तक)/पर्यटन फा0/रा0नि0नि0/2015, दिनांक 10-12-2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-फैजाबाद के अयोध्या में भजन संध्या स्थल के निर्माण हेतु रू0-14.7767 करोड़ (रू0-चौदह करोड़ सतहत्तर लाख सड़सठ हजार मात्र) की आंकलित धनराशि की प्रायोजना स्वीकृति पर सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश सं0-18/725-57-2016-7(4)/2014 टी0सी0-1, दिनांक 04 अगस्त, 2016 द्वारा रू0-5.00 करोड़ की धनराशि उक्त मद में उपलब्ध बजट प्राविधान रू0- 10.00 करोड़ में से निर्गत की गई थी। उक्त मद में अवशेष धनराशि रू0-5.00 करोड़ (रू0- पांच करोड़ मात्र) की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैः-

प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का अनुमोदनः-

(1) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकता अनुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जाये।

(3) परियोजना के संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैन्यूअल के प्रस्तर 212(7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये जिससे परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हों।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है, इसकी जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(5) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नही रखा जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था द्वारा लेवरसेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(7) प्रायोजना के अन्तर्गत ऐसी मदें जो लोक निर्माण विभाग की अनुसूची दरों में सम्मिलित नहीं है उनकी लागत का आंकलन बाजार दर/कोटेशन के आधार पर किया गया है अतः उक्त कार्यो के लिये कार्यदायी संस्था द्वारा बाजार/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित प्रोपराइटरी सम्बन्धी कार्यमदों पर व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम् आवश्यकता एवं उच्च गुणवत्ता के साथ सम्पादित किया जाये एवं इन मदों पर वास्तविक व्यय ही देय होगा जिसका समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा बाजार/कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित प्रोपरायटरी कार्य मदों पर व्यय सुंसगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं उच्च गुणवत्ता के साथ सम्पादित कराया जाये एवं इन मदों पर वास्ताविक व्यय ही देय होगा। प्रायोजनान्तर्गत आगरा रेड स्टोन, मैटल सीलिगं सिस्टम, टफएण्ड फ्लोट ग्लास ग्लेजिगं का प्राविधान किया गया है जो कि लोक निर्माण विभाग की निर्धारित विशिष्टियों से उच्च है, का प्रयोग किया जायेगा।

(9) उक्त प्रायोजनान्तर्गत आगरा रेड सेंड स्टोन, डी0जी0 सेट, फीडर पिलर, एल0टी0 पैनल के क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर बाजार दरें प्राप्त की जायें चूँकि ये प्रोपरायटरी श्रेणी के कार्य है और इनके श्यडयूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पैसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वभाविक है, अतः निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुंसगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाये।

(10) प्रायोजना प्रस्ताव में पाइल-फाउन्डेशन का प्राविधान किया गया है परन्तु मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अभाव में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अनुमन्य नहीं किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गया है। अतः पाइल-फाउन्डेशन की लागत मृदा परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर अनुमन्य की जाये।

(11) प्रायोजना आगणन में प्रस्तावित विभिन्न कार्यमदों की मात्राओं एवं प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(12) प्रायोजना प्रस्ताव में अंकित विशिष्टियां एवं कार्यप्राविधानों के अतिरिक्त अन्य कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां का इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

3- उक्त व्यय अनुदान सं0-84 के लेखा शीर्षक-4250-800-अन्य व्यय-03- अयोध्या एवं चित्रकूट में भजन संध्या स्थल का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य के मद से वहन किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त प्राविधानानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-1/2017/147(1)/57-2017-7(4)2014 टी0सी0-1</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महानिदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ, उ0प्र0।
2- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम लि0, विश्वैश्रया भवन, गोमती नगरलखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0।
6- वित्त व्यय नियंत्रण-5।
7- सामान्य प्रशासन अनुभाग।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नवनीत सहगल
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in